The question is:

> That the Bill to check, unauthorised entry of foreign nationals p the country into and for their deportation to the countries of their origin and formatters connected therewith be. taken into consideration.

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (Miss Saroj Khaparde): Now, we shall take up the Married Women (Protection of Rights) Bill, 1994, Shrimati Veena Vienna.

THE MARRIED WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 1994.

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): madam, I beg to move:

> That the Bill to protect the rights of a married woman and for matters connected therewith, be taken into consideration.

उपसभाध्यक्ष महोदया, 6 वर्ष की लम्बी प्रतीक्षा के बाद मेरा यह गैर सरकारी विधेयक मुझे इस सदन के माध्यम से सरकार के सम्मुख रखने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदया, महिलाओं के बारे में बात करना किसी भी देश की आधी जनसंख्या के बारे में बात करना है, तो आज हम इस सदन में, सर्वोच्च सदन में, इस देश की आधी जनसंख्या, जो महिलाएं हैं, उनके बारे में सोचने, विचारने के लिए खड़े हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय महिलाओं ने न केवल स्वयं अपना स्थान पहचाना है बल्कि पुरुष को भी महिलाओं का स्थान पहचानने के लिए विवश किया है, लेकिन भारतीय समाज में उनका स्थान अभी तक गौरवशाली और सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। यद्यपि हम 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं, फिर भी महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण अभी तक मध्य-युगीन सामन्तों जैसा है। आज पुरुष जिस स्वतंत्रता का मुक्त रूप से आनन्द ले रहा है, वही स्वतंत्रता हम महिलाओं को देने को तैयार नहीं हैं। कहा जाता है, "पति ही देवे नारिण:" अर्थात् नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति के अलावा उसका कोई और देवता नहीं है, पति की प्रसन्नता से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग भी नहीं है। नारी को पुरुष और परमात्मा के अधीन लाने का यह अचूक तरीका है। मैंने जो यह विधेयक, गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है संसद में, इसके पीछे खासतौर से उद्देश्य मेरा यह है कि आज स्त्री का अपने पति द्वारा शोषण किए जाने का वास्तविक कारण यह है कि उसे अपने पति के घर में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे अपने पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे कानून में उसके पति की मृत्यु के बाद ही स्त्री को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करता है, परन्तु पहले नहीं। यदि स्त्री का विवाह होते ही उसके पति की सम्पत्ति में उसका अधिकार स्वीकार कर लिया जाए तो अपने-आप को वह सुरक्षित महसूस करेगी और अपनी निराश्रयता और असुरक्षा की भावना पर काबू पा सकेगी। ऐसा करने से अलग होने और विवाद-विच्छेद की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि यह बहुत से मामले में इसका कारण आर्थिक होता है। विवाह विच्छेद होने पर उसे जो कुछ मिलता है, समाज को चाहिए कि उसकी मंजूरी उसे वैवाहिक जीवन में ही उसे दे दे। यह स्त्री का सबसे बड़ा अपमान है कि पति की हिस्सेदारी होते हुए भी पति उससे सलाह करना तो दूर अपनी वित्तीय तथा पारिवारिक लेन-देन की सूचना भी उसे देना आवश्यक नहीं समझता। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को कतिपय अधिकार दिलाकर उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है।

महोदया, हजारों सालों से औरत के लिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में उसका स्थान समाज में, घर में बहुत ऊंचा था। मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगी कि महिलाओं की स्थिति क्या रही है। चाहे वेदकाल हो, पुराण काल हो, चाहे मनु का समय हो, महाभारतकाल हो या रामायण और फिर आधुनिक वर्तमान काल। जब से हमारा समाज आधुनिक और सभ्य हुआ, तय तो यह था कि स्त्री को समाज में उसके सारे अधिकार और सम्मान वापिस लौटा दिए जाएं, जिसके अभिशाप से वह मध्यकालीन भारतीय समाज के दौर से कराह रही थी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के समानान्तर सम्मान और प्रतिष्ठा की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक हम आम भारतीय औरत को न्यूनतम स्तर पर जीने की सुविधाएं भी नहीं दिला सके हैं। हालत यह है कि आज भी हमारे भारतीय घरों की औरतों की आंखों में हजारों वर्षों से लगातार उड़ने वाला धुंआ उसके आंसूओं के साथ बह रहा है, उसके देह को जलते तवे की तरह बना दिया है। उस पर हम मजे से अपने स्वार्थों की रोटियां सेंक रहे हैं। समाजवादी विचारक डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारतीय स्त्री की मृत्यु के दो ही कठघरे हैं प्रसूति गृह और रसोई घर। वह इन दोनों ही कठघरों की ट्रेजेडी से आज तक नहीं उभर पाई है। यों तो हम स्त्री को बहुत महानता का दर्जा देते हैं। उसे पृथ्वी की तरह पुरुष को धारण करने वाली और समुद्र की तरह दुखों को अपने भीतर समेटने वाली कहा जाता है। कहा जाता है कि:

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"

मैथिली शरण गुप्ता ने कहा था:

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में दूध और आंखों में है पानी"

जय शंकर प्रसाद ने कहा था कि-नारी तुम केवल श्रद्धा हो।

कहने का मतलब यह है कि भारतीय मनीषा में नारी को बहुत विराट, महान से महान सिद्ध किया गया है। उसे बहुत से उपनामों से पुकारा गया-"देवी, सरस्वती, दुर्गा, शारदा, काली, सती, अर्द्धांगनी, गृहस्वामिनी, गृह लक्ष्मी, दिलों पर राज करने वाली।" लेकिन हिन्दुस्तानी औरत की बात करते हुए किसी के ज़ेहन में जो तस्वीर उभरती है, वह अनपढ़, गंवार, फोटो की मशीन को अचरज से देखने वाली मैली-कुचैली महिला की उभरती है। हिन्दुस्तानी औरत की यह छवि दशकों पुरानी है। और यह तब तक नहीं बदली जा सकती, जब तक उस के औसत व्यक्तित्व की पहचान उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं परखी जाएगी। भारतीय नारी के भाग्य की विडम्बना भी विचित्र है। जो अपने निर्मल सतीत्व की अग्नि परीक्षा दे कर भी युगपुरुष की दृष्टि में संदिग्ध रही। अग्नि परीक्षा की जिस परम्परा का नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संभाला था वह परम्परा अपने विस्तृत अर्थों के साथ आज भी उपस्थित है। विवश नारी को प्रतिवाद तक करने का अधिकार पुरुष प्रधान समाज ने नहीं दिया। मनु की व्यवस्था से संचालित इस समाज में उसकी मांसलता को ही महत्व मिला, उसके अंतर में निहित कोमल भावों को नहीं। नारी के विकास की समस्त संभावनाओं को दैहिक आकर्षण की सीमा बना दिया गया। प्राचीन आदि काल में समाज में नारी का स्थान अति गरिमामय था। नारी को देवी एवं पूज्या माना जाता था। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी नारियां इस काल में पैदा हुईं। वेद काल में स्त्री को पशु-रक्षिणी और वीर प्रसविनी कहा जाता था। जन-शत्रुओं से रक्षा करने के लिए वीर संतान की इच्छा नारी से की जाती थी। ऋग्वेद में सती प्रथा का प्रचलन था। पति पत्नी को "नेम" यानि आधा अंग कहा। स्त्री को नारी की संज्ञा दी। स्त्री को सौभाग्यवती कहा। सौभाग्य का प्रधान अर्थ पति का निरोग जीवन माना गया। वेद काल में दहेज प्रचलित था। दहेज के अनुसार वधु का महत्व समाज में बढ़ जाता था। लज्जा आदि स्त्री के आभूषण माने जाने लगे। अथर्ववेद काल में कन्या जन्म बुरा माना गया। कन्या जन्म रोकने के प्रयासों की भी पुष्टि होती है। स्त्री बहुविवाह प्रसंग भी मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के आख्यान में नारद ने हरिशचन्द्र को पुत्र का महत्व समझाते हुए कहा-पत्नी एक साथी है, पुत्री एक विपत्ति है, पुत्र सर्वोच्च स्वर्ग प्रकाश है। वृहत् संहिता और शतपद् ब्राह्मण में स्त्री को बुरे आदमी से भी नीचा कहा गया। बहु-पत्नी रखने का प्रचलन था। स्त्री धार्मिक कृत्यों की साथी थी। वृहदारण्यक उपनिषद् में पत्नी को पीटने के उल्लेख मिलते हैं। विदुषी सुकन्या प्राप्त करने के लिए लोग प्रार्थना करते थे। गार्गी याज्ञवल्क्य के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण काल में या त्रेता युग की नारी सीता राजमहल का सुख छोड़ कर पति के पीछे वन जाने वाली इस नारी ने क्या पाया? रावण द्वारा अपहरण, अपनी प्रतिष्ठा पर आंच न आने दी और सीता को आज्ञा मिली, चिता में प्रवेश कर अपनी पवित्रता प्रमाणित करने की। दुष्ट प्रजाजनों के आरोप पर उसे अकेली, असहाय वन में छोड़ा गया। सर्वविदित है कि आरोप लगाने वाला पुरुष था, सीता को वन में छोड़ने वाला भी पुरुष था व राम की आज्ञा को कार्यरूप में लाने वाला भी पुरुष था। शंख की स्मृति में कहा गया है कि स्त्री लालन और ताड़न से घर की शोभा बढ़ती है। तभी तो तुलसीदास ने कहा कि "ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।" महाभारत काल में स्त्री का स्थान समाज में गिर गया था। स्त्री पुरुष की वस्तु या जुए में दांव पर लगाई जाने वाली वस्तु बन कर रही गई थी। "पांचल राजकुमारी द्रौपदी को दांव पर लगा कर मैं जुआ खेलता हूं" युधिष्ठिर के ये विचार द्यूत-क्रीड़ा के समय के हैं। द्यूत-क्रीड़ा के बहाने उस युग में सम्पूर्ण सामाजिकता का अंतर्द्वंद प्रतिबिम्बित हुआ है। पुराणों ने स्त्री दान का महत्व भी गाया है। दान और विनिमय तो उसी वस्तु का किया जाता है जिस पर अपना स्वामित्व हो। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है-"नारी पाप का घर है।" मध्य युग में नारी को विलासिता की वस्तु माना जाने लगा। परिणामस्वरूप बहुविवाह, पर्दा प्रथा, बाल -विवाह आदि कुप्रबंधों का जन्म हुआ। नारी का वह प्राचीन रूप गृहलक्ष्मी, अर्द्धांगिनी और देवी स्वरूप लुप्त होता गया। अंग्रेज़ों के आगमन से जैसे-जैसे आचार, धर्म में बदलने लगा, व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा, पुत्र प्राप्ति की चाह बढ़ने लगी, वैसे-वैसे स्त्री का शोषण कल्पना बढ़ती गई और वैसे-वैसे स्त्री का शोषण बढ़ने लगा। स्त्री को नियम कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड, वैधव्य जीवन, यातना, दहेज, अत्याचार, शोषण बढ़ने लगा। जैसे-जैसे समाज रूढ़िवादी मान्यताओं में बंधता गया, स्त्री का अपना कोई अस्तित्व, उस का कोई सामाजिक अधिकार ही नहीं रह गया। यहां तक कि ब्राह्मणों ने स्त्रियों को पवित्र ग्रंथ पढ़ने से भी वंचित कर दिया। विधवाओं को समाज में नारकीय जीवन जीने पर मजबूर किया। राजस्थान में बार-बार बाहरी आक्रमणों के डर से जौहर प्रथा बढ़ने लगी और स्त्रियों को सती कर देने और बंगाल में स्त्रियों

को जिंदा जला देने की घटनाएं आम हो गयीं। दहेज समस्या अपना विकराल रूप लेकर समाज में आयी। बालिका शिशु पर अन्याय, बाल विवाह होने लगे, पुनर्विवाह गुनाह हो गया। स्त्री को पिता के घर, पति के घर व समाज में हर अधिकार से वंचित रखा जाने लगा व कन्या जन्म बोझ हो गया। वर्तमान भारतीय समाज ने स्त्री को हर अधिकार से वंचित करके उसे दुर्बल बना दिया। इस तरह से स्त्री होने का अर्थ ही यह हो गया कि जिसके पास कोई अस्त्र न हो, कोई पुरुषार्थ न हो। वह निहत्थी और अकेली शताब्दियों से चुपचाप सोयी हुई पड़ी है जिसके ऊपर कोई भी, कभी भी वार कर देता है। आज इस सभ्य समाज में स्त्री के साथ बलात्कार भी होता है, स्त्री पति के हाथों पिटती है। खुद अपने ही मां-बाप के घर में उपेक्षा का पात्र होती है, उसका अपहरण किया जाता है, वह हर अत्याचार को स्त्री होने के नाते सहती है। पति-विहीन स्त्री को देखकर उसके प्रति सहानुभूति या करुणा उपजने के बजाय घृणा और उपेक्षा के भाव पैदा होते हैं। स्त्री को सती किया जाता है, उसे दहेज के लिए जलाया जाता है। कन्या पूजन करने वाले देश में कन्या शिशु हत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। नारी के दुखों की कहानी मां की कोख में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। गौर किया जाए तो भारतीय नारी की दुखांत कहानी में सिर्फ विधवा ही नहीं है बल्कि तलाकशुदा औरतें, शराबी पति के हाथों पिटती औरतें, लम्बे संयुक्त परिवार के भीतर नौकरानी बनी औरतें जो सबको खिलाती हैं किन्तु खुद भूखे पेट सोती हैं आदि तमाम दुखों से भरे चेहरे और चरित्र हैं जिन्हें देख-सुनकर मन भर जाता है और अपने पुरुष प्रधान समाज से पूछने का मन करता है कि भारत में स्त्री क्यों पैदा होती है? लेकिन नहीं, यह गलत सवाल है, जिसका जवाब भारतीय समाज और सरकार के पास नहीं बल्कि नेचर के पास है। स्त्री-पुरुष में भेद तो है पर असमानता नहीं। वैसे कहने के लिए हम संसार में सबसे ज्यादा सभ्य, कुलीन और महान हैं पर औरतों के मामले में हमारा औसत दृष्टिकोण हिटलर और नादिरशाह जैसा है। कहा जा सकता है कि हम स्त्री के मामले में सभ्य नहीं हैं बल्कि हजारों साल पहले जैसे बर्बर, असभ्य और हिंसक हैं क्योंकि अभी भी हमारे दिमाग में औरत का खाका केवल एक मादा के रूप में ही नजर आता है जब कि स्त्री केवल मादा जानवर नहीं है, आज वह सृष्टि और समाज की अद्वितीय और अमूल्य रचना है। हिन्दी के महान चिंतक, कथाकार श्री जैनेन्द्र ने भारतीय स्त्री के बारे में लम्बी-चौड़ी बहस की। उनका मानना है कि स्त्री का सबसे बड़ा गुण आत्मदान है। सवाल यह है कि आत्मदान को बचाने के लिए उसे दिन में कितनी बार मरना पड़ता है? क्या आत्मदान सिर्फ स्त्रियों के ही हिस्से की चीज है। हमारे बुद्धिजीवी समाज में एक जागरूक औरत को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकती। आज से करीब 13-14 वर्ष पूर्व अंग्रेजी और मलयालय की प्रख्यात लेखिका श्रीमती कमला दास ने जब अपने लम्बे दुखों की दास्तान अपनी आत्मकथा "मेरी कहानी" में बयान की तो उनके ऊपर चौतरफा आक्रमण हुआ। और तो और उनके पति और बच्चों ने उनकी आत्मकथा को अपने परिवार की मानहानि बताकर अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। सिमोन द बोओवा अपनी पुस्तक "सैकेंड सैक्स" में लिखती हैं "स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है।" श्रीमती सुनन्दा भंडारी, हाई कोर्ट की न्यायधीश ने एक संगोष्ठी जो कन्या-शिशु के ऊपर 1990 में हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था, मैं कोट करती हूं "औरतों के खिलाफ सभी विकासशील देशों, खासकर हिन्दुस्तान में पक्षपात होता है। सदियों से औरतों को जानकर पढ़ाया-लिखाया नहीं गया। मनोस्मृति औरतों को नीची निगाह से नहीं देखती बल्कि उसे गुलाम का दर्जा देती है। मनु ने आगे कहा कि अगर आदमी अपने जीते जी अपने पिता का कर्ज नहीं उतार सका तो वह अगले जन्म में कुत्ता, गुलाम या औरत बनेगा। इससे औरत को दिये गये नीचे दर्जे का पता चलता है। कानून ने भी आदमी को ऊंचा और औरत को दूसरा दर्जा दिया है। "कल्पना में स्त्री बड़े-बड़े राजाओं के दिल पर राज करती है पर घर में वह वास्तव में एक दासी है। प्रताड़ित महिला रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 1990 में बलात्कार के 196 केस दर्ज हुए। 1991 में 214, 1992 में 176, 1993 में 306 और 1994 में सिर्फ दो महीने के आंकड़े हैं 34। इस प्रकार इनमें 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पति द्वारा प्रताड़ित करने के आंकड़े भी मेरे पास हैं जिनको मैंने अखबारों से लिया है। उसके अनुसार पति द्वारा प्रताड़ित करने के केसेज 1990 में 349, 1991 में 431, 1992 में 598, 1993 में 792 और 1994 के दो महीने में 132। इसमें भी 55 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। महोदया, महिलाओं की ये घटनाएं दिल्ली में सबसे ज्यादा हुई। तलाक के संबंध में कुछ आंकड़े यह प्रस्तुत करती हूं। तलाक के मामले हमारे यहां 1984 से 1987 तक 2166 हुए। तलाक के लिए दर्ज मामले 1991 के एक वर्ष में 2153, 1992 के वर्ष में 5987। बगैर तलाक लिए जो चुप रहे हैं जो कोर्ट में आ रहे हैं ऐसे जोड़े और शिकायतें जो होती हैं वह 16 से 20 वर्ष के जोड़े हर महीने आते हैं। तीस हजारी कोर्ट में 250 जोड़े हर महीने तलाक के लिए आते हैं। तलाक के लिए 400 से 600 जोड़े हर महीने आते हैं। देश में प्रति वर्ष एक चौथाई शादी विच्छेद का जीवन जीते हैं। जो महिलाएं जीवन लेने से पहले मर

जाती है, या भ्रूण हत्या के जो मामले आते हैं उन्हें बताना सरल नहीं है। महिला पुलिस प्रकोष्ठ के अनुसार दिल्ली में 1990 के आंकड़ों के अनुसार हर तीसरे दिन दहेज हत्या होती है। बालिका श्रमिकों की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है। 11 करोड़ हमारे बाल श्रमिकों में से देश में 40 प्रतिशत बालिकाएं हैं। 1981 में 5486 इनकी संख्या थी जो कुछ आबादी का 2.95 प्रतिशत बालिका श्रमिकों की थी। 1990 की गणना के अनुसार यह बढ़कर 9723 हो गई, यानी 10 प्रतिशत हो गई। इस में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बालिका श्रमिक हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो केन्द्र चलाता है, देश में कुल 4300 केन्द्र महिलाओं के विकास के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यह भी देश में 75 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं। 20 लाख वैश्याओं में से बहुत सी विधवाएं हैं। वृंदावन में कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिन को 4 घंटे गाने का एक रुपया और ढाई सौ ग्राम चावल और 50 ग्राम दाल पर जिन्दा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। महिला शोध संस्थान के सर्वेक्षण 1988 के अनुसार 25 वर्ष से कम की जो विधवाएं हैं उनकी संख्या 18 प्रतिशत है। 15 वर्ष से कम आयु की विधवाओं की संख्या 3 प्रतिशत है। 25 से 40 वर्ष की आयु की विधवाओं की संख्या 41 प्रतिशत है। 25 प्रतिशत विधवाएं कभी पाठशाला नहीं गई हैं। उन्होंने पाठशाला नहीं देखी। 18 प्रतिशत विधवाएं चौथी क्लास तक पढ़ी हैं। 53.4 प्रतिशत विधवाएं हाई स्कूल पास हैं और 33 प्रतिशत विधवाएं इंटर पास थीं। 12.5 प्रतिशत विधवाएं उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। हमारा देश 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में कुछ ही वर्षों में जाएगा लेकिन इस विकास की कीमत महिलाओं ने क्या चुकाई है, इसके बारे में मैं आप को बताना चाहती हूं।

महोदया, वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। महिलाएं अपनी पहचान खो रही हैं। विश्व में जीवन का पैटर्न बदल रहा है, लेकिन भारतीय महिलाओं के रहन-सहन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। घरेलु स्थिति जस की तस है। काम के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्त्रियों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। गृह कार्य प्रतिदिन 3 घंटे के करीब करती हैं, औसतन तीन घंटे करती हैं और पुरुष सिर्फ 17 मिनट करता है। पुरुष अधिक टी.वी. देखता है, स्त्रियों से अधिक टी.वी. देखता है। इस तरह उनका एकांगीपन बढ़ा है, उत्तरदायित्व बढ़ा है। स्त्रियां अधिक चिड़चिड़ी, असंतुलित, उत्पीड़ित या आत्महत्या के लिए ज्यादा झुकी हैं। इसी कारण उनकी जनसंख्या कम हो रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक अध्ययन रिपोर्ट को यहां प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसके आंकड़े मेरे पास हैं। महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक से कम हुई है। देश के विकास में महिला भागीदारी बहुत कम हुई है। अगर 1947 से 93 तक के आंकड़े देखें कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं थीं तो सर्वाधिक संख्या आठवीं लोक सभा में थी यानी 44 महिलाएं थीं यह कुल संख्या का 8.1 प्रतिशत थी। दसवीं लोक सभा में घट कर 7 प्रतिशत रह गई है। राज्य सभा में सर्वाधिक संख्या 1990 में 28 थी यह कुल संख्या का 11.8 प्रतिशत थी। 93 में घटकर 7.3 परसेंट रह गई।

स्त्रियां इस देश की कामकाजी शक्ति है। यह देश के विकास में या देश के कामकाज में कितनी हिस्सेदार है मैं इसके आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी। देश की कामकाजी शक्ति में 1/4 प्रतिशत हिस्सा स्त्री का है। पूरे विश्व में 2/3 भाग काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में स्त्री की उत्पादन क्षमता 93 प्रतिशत है। पापड़ बनाना, अचार बनाना, कूटना, रंगाई, छपाई, कढ़ाई......

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप कितनी देर और बोलेंगी?

श्रीमती वीणा वर्मा: यह तो प्राईवेट मेम्बर बिल है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): फिर भी आप कितना टाइम और लेंगी क्योंकि काफी पुरुष बोलना चाहते हैं इस पर।

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार): आप चाहती हैं पुरुष न बोलें? आप पूरा नहीं बोलेंगी तभी तो बोल सकेंगे।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सब ने कहा है कि एक ही महिला का रेजोल्यूशन है और वह चाहते हैं उस रेजोल्यूशन पर वे पार्टीसिपेट करें। आप बता दीजिए आप कितना समय लेंगी ताकि उनको बोलने में आसानी हो सके। आपको रिप्लाई भी देना है और मंत्री जी को इन्टरवीन करना है।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं समझती हूं इस विधेयक को आगे भी चलना चाहिए। क्योंकि इसमें सब सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं चाहूंगी इस बहस में सब पार्टी के सदस्य भाग लें केवल महिलाएं ही नहीं, मैं चाहूंगी पुरुष भी इसमें भाग लें।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): इसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुष भाग लेना चाहते हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा: महिलाओं की स्थिति मैं प्रस्तुत कर दूं उसके बाद फिर सदस्य अपनी राय रख दें। मैं

महिलाओं की बात कर रही हूं विवाहित स्त्री के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताना चाहती हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मुझे तो बोलने का अधिकार नहीं है। मेरी समझ के बाहर की बात है मैं तो बोलूंगी नहीं।

श्रीमती वीणा वर्मा: आप इसमें इन्टरवीन कीजिए। मैं तो चाहती हूं सब बोलें और इसको आगे भी ले जाया जाये।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: आप का खत्म हो तो दो एक सदस्य बोल सकते हैं। आप पूरा पढ़ेंगे तो कोई भी नहीं बोल सकता।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप मुख्य-मुख्य मुद्दों को हाईलाइट कीजियेगा। बाकी स्पीकर्स को भी टाइम दे दीजिए। यह आगे चलता रहेगा।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैंने जो विवाहित महिला अधिकार संरक्षण विधेयक रखा है सदन में मैं चाहती हूं इसके जो कुछ क्लाजेज हैं वह मैं बताऊं। सबसे बड़ा कारण महिलाओं पर अत्याचार घरों में हो रहा है वह है। वह जन्म लेने के बाद पिता के ऊपर निर्भर होती है और शादी के बाद पति पर निर्भर होती है। पति के घर में चाहे उसके ऊपर कितने ही अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों को सहते हुए वह उस घर में रहती है। महिलाओं के बारे में हमने अनेक बिल पास किये हैं, तलाक का कानून बनाया है, उनके पुनर्विवाह और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिये बिल पास किये हैं लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति यह है कि आज भी वह पति को परमेश्वर मानती है और पति के घर में ही आजीवन, मरने तक रहना चाहती है। उस घर में मरना वह अपने लिये सौभाग्य की बात समझती है। वह किसी भी हालत में पति के घर से नहीं जाना चाहती और किसी भी कीमत पर वह सौभाग्यवती कहलाना चाहती है। इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये कोई रास्ता निकालें। मैंने यह जो बिल प्रस्तुत किया है इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि वह पति परमेश्वर के घर में अधिकार से रहे, मजबूती से रहे। यद्यपि हमारे समाज में मां बेटी को कहती है कि तुम्हें बड़ी होकर पति के घर जाना है, गौरी की पूजा करके तुम्हें अच्छा घर-वर पाना है और वहां जब तुम जाओगी तो पति तुम्हारा परमेश्वर होगा, इस सीख के बावजूद मैं चाहती हूं कि वहां पर औरत जो खाये वह अपने अधिकार से खाये। इसलिये मैं इस बिल द्वारा महिलाओं को मजबूती देना चाहती हूं। इसमें एक क्लाज है, उसमें है कि:

> "She shall have a right to live in the house of her husband, whether owned by him or by his joint family without seeking judicial separation or divorce from her husband.'

देखा गया है कि पति कभी भी स्त्री को कह देता है निकल जा, मेरे घर से चली जा, स्त्री को हमेशा एक भय और असुरक्षा की भावना घेरे रहती है कि उसे घर से निकाल दिया जायेगा। हमारे ला मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं कानून नहीं जानती हूं लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि औरत को एक असुरक्षा की भावना चौबीसों घंटे घेरे रहती है कि कभी भी उसे घर से निकाल दिया जायेगा। घर में रहने के लिये उसको बहुत सी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। अगर पति तैयार नहीं है तो फिर कोर्ट में जाकर उसके पास तलाक देने के अलावा कोई चारा न हो तो वह औरत कहां जाय, उसका कौन सा घर हो, क्या वह पिता के घर में वापस जाय, इसको मैंने इस बिल द्वारा......

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप हिन्दु विवाहित महिलाओं के बारे में बोल रही हैं या समाज की सभी विवाहित महिलाओं के बारे में बोल रही हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): अविवाहित मांओं के बारे में भी बोल रही है?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : हिन्दू विवाहित महिलाओं के बारे में बोल रही हैं या सभी महिलाओं के बारे में बोल रही हैं ?

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं इसको केवल हिन्दू महिलाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि इसको एक देशव्यापी, एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया जाय। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमें भारतीय होने में गर्व है उसी तरह से इसे हर भारतीय महिला....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : चाहे वह किसी भी धर्म की हो या किसी भी समाज की हो।

श्रीमती वीणा वर्मा: हमारे संविधान में महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिये गये हैं। मैंने इस संबंध में एक प्रश्न राज्य सभा में पूछा था दिनांक 10 सितम्बर 1991 को। मेरा प्रश्न था कि: Whether it is a fact that women generally do not get any share in the ancestral property although the Hindu Succession Act, 1956 contains provisions to that effect; whether Government have conducted any survey, and; whether it is also a fact that in case of divorce, a wife cannot claim any part of the property belonging to the husband as a matter of right; if so, what steps the Government is taking or proposes to take to effect

improvement in the social status of women by allowing them share in the property of their husbands.

इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि: Yes. Women generally do not get equal share in the ancestral property. Different persons are subject to different personal laws, according to the religion to which they belong. There is no specific survey made, in this regard, since law is clear on the subject. The wife has a right to maintenance in terms of the provisions of the personal law applicable to tier. A spouse, however, cannot claim any part of property of the other spouse on divorce as a matter of right. There is no proposal, as at present, under the consideration of the Government to give women a share in the property of their husbands during their lifetime. To improvethe social status of women by giving economic stability, the Government is allowing State Governments to make amendments in the personal laws to confer certain rights like coparcenary rights to the daughters, etc. The Government is also trying to promote public opinion to achieve this object by encouraging the efforts of various voluntary organisations. Last week, the Indian Succession (Amendment) Bill , 1991, giving equal rights of property to Parsee women has been passed by the both Houses of Parliament.

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यही कहना चाहूंगी कि औरत में असुरक्षा की भावना है। मैं चाहूंगी इस बिल के अनुसार औरत को अपने घर में रहने का अधिकार हो जब उसे निकाले जाने का डर हो तो उसको कोर्ट न जाना पड़े, अधिकार से वह उस घर में रहे क्योंकि प्राचीन समय से ही हमने उसको अर्धांगिनी कहा है या इक्वल पार्टनर कहा है। शादी के दिन से ही यदि स्त्री का अधिकार पति की सम्पत्ति में मान लिया जाए तो उसको यह अधिकार होगा, असुरक्षा की भावना उसमें नहीं होगी, घर छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने यह क्लाज़ रखा है। दूसरा यह है कि–

She shall, without seeking judicial separation, be entitled to have food, clothing and other facilities, maintenance and support of her husband, herself from her husband.

यदि स्त्री सोचे भी कि वह तलाक ले, यदि पति से किसी कारण से अलग रहे, मतभेद हो जाए, घर को छोड़ना चाहे तो उसके लिए कोई भी सहारा नहीं है, कोई छत नहीं है। उसको मेंटिनेंस नहीं मिलता है। मैं यह मानती हूं कि औरत अर्धांगिनी है, इक्वल पार्टनर है, इसलिए उस केस में जब वह कोर्ट में भी लड़ने जाए तो कैसे ज़िन्दा रहे, क्या खाए, कैसे बच्चों को पाले? इसलिए मैं चाहती हूं कि उसको घर, छत, कपड़ा और मकान पाने के लिए पति की सेलरी में से कुछ परसेंटेज 20 परसेंट, 30 परसेंट दिया जा सकता है जिससे वह उस समय रहे जबकि वह मेंटिनेंस मांगती है या कोर्ट में उसका फैसला होता है। तीसरा क्लाज़ है–

She shall be entitled to have an equal share in the property of her husband from the date of marriage and shall also be entitled to dispose of her share in the property by way of sale, gift, etc.

THE V1CE-CHARMAIN (MISS SAROJ KHAPARADE): Veenaji, will you please wind up because other Members are also very keen to speak. When you reply to the debate then you can say all this and that will be more appropriate, if you don't mind.

SHRI. V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, she has come with all preparation.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): *(interruptions)*... I know. I could make that out.

SHRI S.S. AHLUWALIA: If all preparations are there, then we will withdraw our names. The Minister will reply to her questions. If she wants to put all questions today *..(interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Ahluwalia, don't say like this, that you will withdraw your name. Without you there is no *shobha,* you know. There is no *shobha.ta* the Bill also. She will definitely give you a chance to speak.

देखिए, आप ब्रीफ में वाइंड अप करिये ताकि यह लोग भी बोल लें तब आप जवाब देते समय बोल सकती हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा: जी।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): See, you are in a minority. There is a majority here.

SHRIMATI VEENA VERMA: There is no question of minority or majority.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): देखिये, आपको इस विधेयक पर जो भी मोटी मोटी बातें रखनी हैं, बहुत

महत्वपूर्ण बातें रखनी है, वह बातें रख दें। बाकी दूसरे लोगों को बोलने का मौका दीजिये जब जवाब का वक्त आएगा तब आप बोलियेगा।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैंने अपना यह बिल नेशनल कमीशन आन् विमेन को दिया था। उस पर उसके जवाब में उन्होंने दो एक्सपर्ट्स के व्यू दिये हैं जो कि लॉ एक्सपर्ट्स थे। मैं उसको यहां कोट करना चाहूंगी। एक जवाब मुझे मिला है जो कि 15 फरवरी 1993 को भेजा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप जवाब में मत जाइये, इस विधेयक पर अपने विचार यहां पर रखिए, वह ज्यादा एप्रोप्रिएट है।

श्रीमती वीणा वर्मा: उन्होंने कहा है कि औरत को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिये, इसमें है और दूसरे में है कि, Yes, it should be considered.

और इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। एक इसमें और पैराडाक्स है कि एक औरत को भारत का संविधान उस घर में अधिकार देता है, जिस घर में वह प्रतिज्ञा करके आती है कि मरने तक उस घर में रहेगी और उस घर में उसको अधिकार नहीं है लेकिन पिता के घर में जन्म लेने के नाते संविधान ने उत्तराधिकार कानून के द्वारा औरत को बेटी के रूप में अधिकार दिया है। परन्तु जिस घर में कानून के द्वारा बंध कर वह पति के घर में आती है कि उस घर में वह मरने तक, चिता तक पति के साथ जिंदा रहने की वह शपथ लेती है उस घर में उसको कुछ अधिकार नहीं मिलते हैं और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह हर कर्तव्य करेगी, लेकिन अधिकार स्वरूप कुछ नहीं मांगेगी और मिलेगा भी नहीं। वह घर जिसमें कि वह 21 वर्ष अपने अधिकार से रह सकती है पिता का घर उसमें संविधान ने उत्तराधिकार कानून द्वारा औरत को संपत्ति का अधिकार दिया है, लेकिन जो पति का घर है वहां यह अधिकार नहीं दिया है जहां पर वह अपनी हर चीज का त्याग करने आई है न मांगने का अधिकार दिया है और न मिलेगा। सिर्फ विधवा को प्रॉपर्टी राइट दिया है। वह इक्वल पार्टनर जो कहलाता है अर्धांगनी जिसकी कहलाती है जब वह संसार से कूच कर जाता है तब उसके बाद विधवा को अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार। तो मैं संसद से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या औरत विधवा होने की कल्पना करे? जो एक प्रतिज्ञा करके आती है कि वह उस घर में रहेगी और चिता उठने तक रहेगी, क्या उस घर में उसको मांगने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ पिता से ही मांगने का अधिकार है, पति से मांगने का कोई अधिकार नहीं? क्या वह बेटी ही बनी रहे? औरत का सब से बड़ा गुण सौभाग्यवती होना है, तो क्या सौभाग्यवती होना उसका दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए? सिर्फ जब वह पति नहीं रहे तब उसके मरने के बाद उसको मांगने का अधिकार मिलता है और वह भी बच्चों के बराबर उसको अधिकार मिलता है। मैं चाहूंगी कि संसद् इस पर विचार कर और जो एक पति से यदि वह डाइवोर्स ले, शादी के तीस साल बाद तो उसको कुछ नहीं मिल सकता, हमारा संविधान सिर्फ मैंटीनेंस देता है। गुजारा भत्ता के नाते वह भी बहुत कम होता है। तीन सौ, चार सौ, पांच सौ से ज्यादा कभी नहीं होता लेकिन क्या औरत सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए ही जिंदा रहेगी? क्या उसको कुछ और अधिकार नहीं मांगने हैं? क्या औरत जब भी मांगे उसको केवल गुजारा भत्ता ही मिले? वह गुजारा भत्ता पर ही रहती है। यह उम्मीद की जाती है कि पति के घर में उसको सब कुछ मिलेगा। वह परमेश्वर का घर है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सदन इस पर विचार करे।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बहुत-बहुत धन्यवाद, वीणा जी।

Now, I have a few names of memebrs who want to speak on the Bill.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, श्रीमती वीणा वर्मा जी ने विवाहित स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1994 प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि यह इतिहास स्त्रियों के ऊपर ही बनाया गया है। जितने भी युद्ध पौराणिक-काल में हुए, वह स्त्री की मान-मर्यादा के लिए ही हुए। चाहे हम महाभारत को लें, चाहें रावण और राम युद्ध को लें और भी दूसरे राजाओं के भी युद्ध स्त्रियों के मान के लिए हुए हैं। तो स्त्रियों को मान का प्रतीक माना गया है, लेकिन स्त्री का जो अपमान धीरे-धीरे शुरू हुआ, वह इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था के कायम होने के बाद हुआ। यह इसी व्यवस्था का परिणाम है कि स्त्रियों का जो सम्मान और आदर था, उसमें कमी आई। महोदया, स्त्रियों की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए हमारे देश में कई विद्वान आगे आए जिन्होंने कि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। महोदया, ऐसे कई विधेयक हमारे यहां प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले तो 1829 में इस देश में सती प्रथा विरोधी कानून पारित हुआ। राजा राममोहन राय जी इस कानून के समर्थक थे जिन्होंने कि स्त्रियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया और यह कानून पारित कराया। उसके बाद सन् 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट, 1874 में विवाहित स्त्रियों का संपत्ति

अधिनियम-स्त्री का निजी संपत्ति विधेयक पारित किया गया, 1951 में दहेज विरोधी अधिनियम, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू पोषक दत्तक ग्रहण अधिनियम पास किया गया। यह सारी कानून स्त्रियों को अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए पास किए गए थे, लेकिन फिर भी जो कानून पास किए गए, उनसे स्त्रियों को बहुत कम छुटकारा मिल पाया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी विवाह विघटन अधिनियम, 1939 पास किया गया महोदया, कानूनी तौर पर तो व्यवस्था यह रही है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएं। आजादी की लड़ाई में भी महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर रहा है और जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था तो भारत के संविधान में उसकी प्रथम धारा के अंदर यह शब्द रखा गया कि यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें समस्त नागरिकों को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समान रूप से अवसर प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़-संकल्पित होकर संविधान सभा ने तारीख 26 नवंबर, 1949 को संविधान अंगीकृत कर अधिनियम आत्म-समर्पित किया। महोदया, संविधान के अंदर अनुच्छेद-14 में भारत राज्य में कोई भी व्यक्ति विधि-सम्मत समानता का अधिकार रख सकता है और उसके लिए संरक्षण दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था की गई है कि "धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी से मतभेद नहीं किया जा सकता।" संविधान के अनुच्छेद 16 में व्यवस्था की गई है कि "राज्य के अधीन होने वाली नौकरियों में स्त्रियों के लिए बराबर के अधिकार, प्रवेश के समान अवसर हैं"; लेकिन जब हम समाज में जाते हैं, गांव की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि पुरुष और स्त्री में भेद किया जाता है। मन की जो भावना है उसको दूर करने के प्रयत्न तो हुए हैं लेकिन अभी तक जो भावना प्राचीन काल से चली आ रही है, वह अभी भी लोगों के दिलों में कायम है, इसलिए हमें कानून बनाकर इस भावना को दूर करना पड़ेगा क्योंकि समाज के अंदर स्त्रियां पुरुषों से कम आंकी जाती हैं। हम एक शादी को लें, यद्यपि कुछ जातियों के अंदर जरूर देखने को मिलता है, लेकिन हिन्दुस्तान के अंदर ज्यादातर शादियां अभी तक मां-बाप की इच्छानुसार अव्यस्क बच्चियों की की जाती हैं और मां-बाप की इच्छा के अनुसार ही उसके लिए पति को ढूंढा जाता है क्योंकि स्त्री को अबला माना गया और यह सोचा था समाज के लोगों ने की स्त्री कमजोर दिल होती है, स्त्री भावनाओं में बहने वाली होती है, उसमें सोचने-समझने की शक्ति नहीं होती है, इस भावना को देखा जाता है। लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे स्त्रियों को समानता का अधिकार मिलता गया, इस देश में स्त्रियों ने यह दिखाया कि किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं है। तो आज आवश्यकता यह भी है कि विवाहित स्त्री, विधेयक की जो भावना है, विवाहित स्त्री की जो दयनीय दशा है, उसको संरक्षण देने की बात जो मीणा जी इस बिल के माध्यम से लाई हैं, यह बात सही भी है। कानून ने महिला को तलाक का अधिकार दे दिया है लेकिन चिंता नहीं की कि तलाकशुदा महिला रहेगी कहां, इसकी चिंता नहीं की गई है। स्त्री को पति के, जब शादी की जाती है तो धार्मिक आधार पर अग्नि की परिक्रमा करके या कुछ रस्म अदा करके उसको पति के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन उस स्त्री की स्थिति क्या है जब वह पति के साथ जाती है? वह पति के घर में रहती है तो एक जानवर, जिस तरीके से जानवर को हम जहां ले जाना चाहते हैं, जिस प्रकार का चाहें उससे काम लेते हैं, उस तरीके से स्त्री के साथ वह पति अपना व्यवहार करता है। कोई अधिकार नहीं है पति की सम्पत्ति में स्त्री को। पैतृक सम्पत्ति की जहां तक बात है, यद्यपि भाई-बहन साथ-साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसमें पुत्र को तो अधिकार है, पुत्री को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यदि अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो उसका सहारा कहां मिलता है? केवल कानून ने ही यह अधिकार दिया है कि अपने मां-बाप के पास जाकर वहां रह सकती है, निवास कर सकती है। लेकिन वहां की सम्पत्ति का बंटवारा नहीं कर सकती। इस प्रकार महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है, तो इसके संशोधन की आवश्यकता बहुत जरूरी है कि महिला को अधिकार दिया जाए। या तो उसके पति की जो सम्पत्ति है उसमें उसकी सम्पत्ति में भागीदार बना दिया जाए, जो अब तक व्यवस्था नहीं है। पति के मरने के बाद पति की सम्पत्ति में महिला को कोई अधिकार नहीं मिलता है। यदि उसके कोई पुत्र है तो उन पुत्रों को जाता है। यदि पुत्र नहीं है तो फिर महिला को अधिकार जाता है। लेकिन प्रेक्टिकल रूप में हम देखते हैं कि वह अधिकार उस को कानूनन तो है लेकिन पति के जो भाई वगैरह हैं, जो उसके संबंधी हैं वह उस अधिकार का प्रयोग उस महिला को नहीं करने देते। उसको घर से निकाल देते हैं। जब वह अपने मां-बाप के घर जाती है तो जब तक मां-बाप जिन्दा रहते हैं तब तक तो उसको प्यार मिलता है, नहीं तो उसके भाई भी बेसहारा बनाकर छोड़ देते हैं। सम्पत्ति के अंदर उसको अधिकार दिया जाए और दिया भी गया है, जो आज स्थिति दूसरी बनी हुई है। बहन की भावना ऐसी रहती है कि वह कोर्ट में जाकर अपने भाई को

वहां खड़ा नहीं करना चाहती। तो वह उस अधिकार का प्रयोग भी नहीं करती है। उसके बदले उस अधिकार का प्रयोग कौन करते हैं? उस पत्नी का पति करता है। भाई और बहन का रिश्ता इस वजह से टूट जाता है। इस तरीके से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने के लिये सरकार को कुछ निश्चित कदम उठाने चाहिये। विवाह से पूर्व यदि कोई स्त्री किसी युवक के प्रति आशक्त होकर अपना दिल दे बैठती है तो उसे प्यार से कहा जाता है और यदि कोई पुरुष अपने दिल को किसी स्त्री के प्रति समर्पित करता है तो उस स्त्री को बदचलन कह दिया जाता है, वैश्या कहा जाता है और आवारा कहा जाता है। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसको कई तरह से महिला की जो भावना है उसको दबा दिया जाता है। परन्तु विवाह की रस्म के बाद एक पुरुष विशेष जिसे सदियों से पति की संज्ञा दी है और जिसके सुपुर्द किया जाता है उस महिला को, वह उसके शरीर का एकमात्र उपभोक्ता मानकर उसका प्रयोग करता है। इसलिये आज यदि महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनन अधिकार दिया है तो सामाजिक और प्रेक्टिकल रूप में अभी समान नहीं है। इसलिये महिलाओं को शिक्षा देने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिससे जो सामाजिक बुराई है, जो महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है, वह इससे कम हो सकता है। महिलाओं को आर्थिक समानता का अधिकार कानून न दे दें, लेकिन वास्तविक रूप में यह अधिकार उसको नहीं मिल पाया है। आर्थिक समानता के अधिकार के लिये पैतृक सम्पत्ति में जिसके साथ शादी की जाए, पति की सम्पत्ति में उसको अधिकार दिया जाए, हिस्सा दिया जाए जिससे कि पति द्वारा उसका परित्याग करने पर, तलाक के बाद उसको बेसहारा न होकर वह हिस्से से अपना जीवकोपार्जन कर सके, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सके। हिन्दू अधिकार अधिनियम 1956 की धारा 23 के अनुसार जो पैतृक निवास में रहने का अधिकार तलाकशुदा महिलाओं को मिलता है, उस में संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधन करके पैतृक सम्पत्ति में बंटवारे का अधिकार भाई-बहन को समान रूप से मिले, यह अधिकार दिया जाए। आज हमें देखने को मिलता है, अखबारों में भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि दहेज के कारण आज महिला को जला कर मार दिया या घर से निकाल दिया है। दहेज जैसा भयंकर विष समाज के इस आर्थिक युग में महिलाओं के अत्याचार में एक समस्या पैदा करता है। दहेज से होने वाले अत्याचार के लिए और उसकी पीड़ा सहने के लिए महिला ही होती है। महिला को उस दहेज के लिए अपना सब कुछ, सारी इच्छाएं न्यौछावर करनी पड़ती हैं। कई बलात्कार की घटनाएं भी होती हैं। कुछ सुनने में मिलता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार पुरुष ने जबरदस्ती किया है। ऐसी घटनाएं हैं। हमारी मानसिक भावना ऐसी बन गई है और यह भावना जब तक नहीं निकलेगी कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। तो सम्पूर्ण रूप से महिलाओं का समानता का जो अधिकार है, उसका पालन नहीं हो पाया है। आज देखने को मिलता है कि पुरुषों के बजाय स्त्रियां ज्यादा यदि किसी सरकारी विभाग के अंदर सर्विस करती हैं, कानून का पालन करती हैं। काम भी समय पर करती हैं, लापरवाही नहीं करती हैं और यह मुख्य रूप से इस देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार का, देखने को मिलता है कि यह जो भ्रष्टाचार की बीमारी है, वह महिलाओं में कम मिलती है क्योंकि ईमानदारी का सही प्रचलन हम देखते हैं तो महिलाएं ज्यादा ईमानदार दिखाई देती हैं पुरुषों की अपेक्षा। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, कभी किसी महिला का नाम सुना है आपने? बहुत कम, एक-दो नाम होंगे लेकिन साधारण तौर पर, आम तौर से पुरुष भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त हैं। क्योंकि आज अहलुवालिया जी ने पुरुषों की बात की उसी बात को कह रहा हूं। नौकरियों में भी जो कामकाज होता है, वे अपनी ड्यूटी निभाती हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ निभाती हैं लेकिन महिला कर्मचारियों की दुर्दशा अगर आप देखें, विभाग के अंदर उनके साथ क्या-क्या सुलूक होते हैं, यह सब कुछ रोकना चाहिए। महिला बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म लेने के बाद, कानून के अंदर जो अधिकार दिये हुए हैं, उसमें पिता को ज्यादा महत्व दिया गया है। यदि महिला और पुरुष में झगड़ा हो जाता है तो जो बच्चा पैदा हुआ होता है, जिसकी कोख से वह पैदा होता है, जब तक उसका पालन-पोषण हो सके, पांच साल की उम्र तक, तब तक उस पर महिला को अधिकार होता है और उसके बाद पुरुष को वह अधिकार दिया जाता है, ऐसा हमारे कानून में है। जो महिला बच्चे को पैदा करती है, जिसकी मातृत्व की भावनाएं उससे जुड़ी हुई रहती हैं तो उसकी दशा क्या होती होगी जब उसके पुत्र को या पुत्री को उसके तलाकशुदा पति को सौंप दिया जाता है? आज समाज के अंदर महिला को केवल उपभोग की ही वस्तु समझा जाता है। कब तक ऐसा होता रहेगा और हम उसे ऐसा मानते रहेंगे। हमारे देश के अंदर पारिवारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकार के दो सिद्धांत थे और वह आज भी हैं। एक तो जन्म से संबंधित और दूसरा रक्त से संबंधित। जन्म और रक्त के संबंध के आधार पर हिन्दु अधिकार अधिनियम 1956 में पुत्र और पुत्री दोनों को सम्पत्ति में समान भागीदार बनाया है। पैतृक निवास के बंटवारे पर जन्म का यह सिद्धांत लागू नहीं होता। विवाहित

स्त्री न तो पैतृक आवास में रहने का अधिकार रखती है और न ही वह पैतृक मकान के बंटवारे की मांग कर सकती है। परित्याग, विधवा अपने पैतृक मकान में केवल निवास कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुसार विशेष विवाह अधिनियम 1954 है जिसमें यह व्यवस्था की है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में शादी कर सकते हैं। इस प्रकार की अनुमति संविधान के अंदर दी है। लेकिन स्त्री का धर्म, स्त्री की पैतृक जाति शादी के बाद पति के साथ ही बदल जाती है। इसलिए संविधान की व्यवस्था के अनुसार उनको धर्म और जाति मानने का अधिकार है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मीणा जी कहां का है? यह आप जो कह रहे हैं यह कहां पर होता है?

श्री मूलचंद मीणा: रिलीजियन चेंज हो जाता है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): नहीं होता है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): कानून में नहीं बदलता है।

श्री मूलचंद मीणा: मैं कानून की बात नहीं कह रहा। कानून में तो यह अधिकार है कि वह उसको स्वतंत्र रख सकती है। भारद्वाज जी, आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप लॉ मिनिस्टर को इस तरह से चैलेंज मत करिए।

SHRI H.R. BHARDWAJ: You see, these are matters which relate to speeches in Parliament. Tomorrow somebody may raise objection to whatever you have said. You should not say that if a woman belonging to one religion marrie is a man belonging to another religion, her religion is automatically changed. Religion is something which, unless a person wants to change it, cannot be changed;

श्री मूल चंद मीणा: यही मैं कह रहा हूं कि संविधान के अंतर्गत उस की व्यवस्था है कि वह धर्म अपना चेंज नहीं कर सकती, लेकिन प्रेक्टिकल रूप में हम देखते है कि स्वाभाविक रूप से...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अपने आप नहीं होता है, फिर आप गलत कह रहे हैं। वह अपने आप नहीं होता है।

श्री मूल चंद मीणा: पुरूष के प्रभाव में होता है...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): वह अलग होता है।...

श्री मूल चंद मीणा: पुरुष के प्रभाव में स्त्री को अपने आप बदलना पड़ता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व और अधिकार दिया गया है यदि कोई महिला वसीयत करे तो वह अपने वारिसों को दे सकती है। धारा 10 में यह उपबंध है कि किसी निर्वसित व्यक्ति के वारिस निम्नलिखित व्यक्तियों में माने जाएंगे। यदि निर्वसित विधवा एक से अधिक हो तो सभी विधवाओं को एक सा भाग लेने का अधिकार होगा। निर्वसित स्त्री के जीवित पुत्र और पुत्रियां एक-एक भाग लेंगी। निर्वसित व्यक्ति के या मृतक के पुत्र या पुत्री के वारिस को भी एक भाग लेने का अधिकार है...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Try to wind up,

बहुत देर हो गई है, जल्दी तो नहीं है।

श्री मूल चंद मीणा: मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता के जीवित रहते हुए परित्यक्ता अपनी माता पिता के घर में रहती है, परंतु अधिकांशत: एक जानवर जैसी स्थिति उस की हो जाती है। मां-बाप के बाद भाई, भाभियों का जो झगड़ा होता है जो ताने उस को सुनने पड़ते हैं उस के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसकी दशा दयनीय हो जाती है। इस लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाए। हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें तो तीन बार तलाक कहने के बाद ही स्त्री को छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं उन से कानून के आधार पर हम को महिलाओं को ऐसे अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए। कुछ सामाजिक बुराइयां ऐसी हैं जिन को दूर करने के लिए हमें इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करना चाहिए और महिलाओं को उस के उचित अधिकार उन को दिलाने चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार):

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या श्रीमती वीणा वर्मा जी द्वारा प्रस्थापित विधेयक विवाहिता स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1994 के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, मैं इस विधेयक पर विचार करने से पहले एक फेमस कोटेशन को कोट करना चाहता हूं जिस में कहा गया है और मैं खुद कहता हूं- "I am the boss of the house and I have my wife's permission to say so."

अगर मैं घर का कर्ता हूं तो उस की पहचान मेरी स्त्री है और मेरी धर्म-पत्नी है और मैं नहीं समझता कि धर्मपत्नी की या घर की स्त्री की अवहेलना करके कोई घर चल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में अपने एक्सपीरियंस को लेकर हम पूरे भारतीय संस्कारों पर आरोप लगायें कि नारी के अधिकारों का हनन हो रहा है या नारी के अधिकारों को छीना जा रहा है या नारी के अधिकार क्षीण हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं सहमत हूं क्योंकि युग-युगान्तर से देखता आया हूं कि अगर मेरे को शक्ति की जरूरत है तो मैं क्या पढ़ता हूं। मैं मां दुर्गा का चंडीपाठ करता हूं। शेरां वाली को पुकारता हूं। मां काली को अराधता हूं। मां जगधातरी की पूजा करता हूं तब मैं सशक्त होता हूं, मजबूत होता हूं और दुश्मन का सामना कर सकता हूं। पीताम्बरी देवी की अराधना करता हूं तब मुझे शक्ति मिलती है। मैं कैसें कहूं इस भारत की, जिस भारत का हर पुरुष हर सशक्त जवान शक्ति के लिए जब भी अराधना करता है तो किसी मां की करता है। अगर विद्या की अर्चना करनी है तो मां सरस्वती की अराधना करनी है। वह कोई पिता नहीं है। अगर विद्या लेनी है तो मां से लेनी है, सरस्वती मां है, नारी है। श्रीलक्ष्मी को, धन को प्राप्त करना है तो मां लक्ष्मी की अराधना करनी है वह भी नारी है। उसके बाद अगर भरे पूरे घर में अनाज के भरण पोषण की अराधना करनी है तो अन्नपूर्णा देवी की अराधना करनी है। वह कौन है? मैं कैसे मान लूं इस भारत में जहां शक्ति से लेकर घर के भोजन तक हर चीज की प्राप्ति के लिए हम हाथ जोड़ कर अराधना करते हैं तो उसी देवी के सामने खड़े होकर करते हैं। तो हम कैसे मान लें उसको अधिकार नहीं है। हम उनके अधिकारों के अधीन चल रहे हैं। हां, जरूर वर्तमान युग में हम लोगों ने कुछ विभ्रान्तियां पैदा कर दी हैं। वीणा वर्मा जी ने विधेयक पेश किया है। किन्तु इस विधेयक में उन लोगों की बातें कही हैं जहां सम्पत्ति की बात होती है। कहां है उन नारी की बात जहां सम्पत्ति है ही नहीं, उन 40 परसेंट लोगों की बातें जो बिलो पावर्टी लाइन रहती हैं? वे स्त्रियां क्या जानती हैं? वह यही जानती हैं कि पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरी करने जाना है। सारे दिन मेहनत करके रात को रोटी मिल जायेगी। उसी बीच उसको अपने पति के साथ सहवास करके गर्भधारण करना है, एक बच्चे को जन्म देना है और स्तनपान के माध्यम से उसे बच्चे का भरण पोषण करना है और साथ में रोटी भी कमानी है। इस विधेयक में उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह चर्चा किस की है? यह चर्चा उसकी है जो आज ज्वांयट फेमिली से हट कर घर में मातृ रूपी सास की सेवा न करके बाहर निकल कर आजाद भारत में आजाद नारी का रूप लेना चाहती हैं। उसकी बात यहां पर है। यह मैं भाई-बहन के बीच में रहकर, देवर-देवरानी के बीच रहकर, ननंद-ननंदोई के बीच रहकर सफोकेशं फील कर रहे हैं। उनके अधिकारों की बात कर रही हैं। अगर अधिकारों की बात करनी है तो बहुत कुछ है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा इस देश में मर्यादा के लिए सब कुछ हुआ। रावण का वध क्यों हुआ? सीता मैय्या की मर्यादा के लिए। महाभारत क्यों हुआ? द्रोपदी की मर्यादा के लिए। हेलन आफ ट्राय का किस्सा क्या है? हम अगर इस तरह से सोचने लगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ गुजरा है या हमारे व्यक्तिगत सामने कुछ दीख रहा है, नारियों को छोड़ दिया है यह अलग बात है। आज हमारे सामने डौरी एक्ट है। डौरी एक्ट का एक किस्सा मैं बताना चाहता हूं। मेरे पास एक केस आया। पुरुष कह रहा है मेरी स्त्री है, मेरी शादी है इससे। किन्तु मैंने इससे सहवास नहीं किया और यह गर्भधारण कर चुकी है। और कहती है कि यह पुत्र तुम्हारा है। वह पुरूष कहता है कि मैं मेडिकली चेकअप के लिये या किसी भी मेडिकल बोर्ड के सामने जाने के लिये तैयार हूं। आज साइंस यह बता सकती है कि यह पुत्र किसका है लेकिन जबरदस्ती है कि मैं इस घर में रहूंगी। वह पुरुष कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ सहवास नहीं किया, शादी जरूर की है, यह पुत्र मेरा नहीं है। लेकिन वह कहती है कि यह तुम्हारा है और वह जबर्दस्ती उस घर में रहना चाहती है। यह कौन सा अधिकार है? उसके अधिकार का अगर हनन होता है या उठाकर बाहर फेंक दी जाती है तो वह बेचारा उसके फेंकने से पहले या यह बात कहने से पहले डावरी ऐक्ट में गिरफ्तार हो जाता है। महोदया, कैसा अधिकार चाहिये? फिल्म तारिका सारिका हैं, फेमस तारिका, सब को पता है, सर्वविदित है कि वह कुवांरी मां है। उन्होंने गर्भधारण किया। बच्चे को जन्म दिया। आज तक पिता का नाम नहीं बताया और रह रही है। यह कौन सा अधिकार है? क्या समाज के कलंक और कुलविसतता को आप अपने दिल में और दिमाग में छिपाकर रखना चाहते हैं, उसको प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं? क्या गर्भ में जो बच्चा है उसके पिता का नाम नहीं देना चाहते? मां प्रथम गुरु है जिंदगी में, नारी प्रथम गुरु है पुरुष जीवन में, वह बताती है कि तुम्हारा पिता कौन है। वही इसको बता सकती है क्योंकि और कोई नहीं बता सकता है कि बाप कौन है। पर अगर वह इस बात को छिपाती है तो वह प्रकृति के एक बड़े राज को छिपाने की कोशिश है और उस राज को उजागर करने की बात पति करता है तो उसको अत्याचार कहा जाता है, उसको उसके अधिकारों का हनन कहा जाता है।

महोदया, हम नारी को अर्धांगिनी, अन्नपूर्णा सब कहकर पुकारते हैं और गृह सुख के लिये मेरे ख्याल से यह जरूरी

है। जिसको घर बसाना है वह तो सारी चीजें मानता है लेकिन जिसने नहीं बसाना है, तो नारी और पुरुष के बीच में अगर हिजड़ा भी रहने लगे तो उससे भी उनके बीच में विरोध हो जायेगा, जिसको नहीं बसना है। महोदया, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में-हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है और इस अधिनियम में नारी को या बेटी, को यह अधिकार न देने का मुख्य कारण जो था वह जमीन थी। क्योंकि ऐसा होने पर जवाई को वहीं पर रखना पड़ता और उसको भी पट्टेदार बनाना पड़ता, वहीं गांव में उसको रखना पड़ता। भाई भाई तो एक जगह रह सकते थे लेकिन जवाई को साथ रखने में दिक्कत होती थी। यही मेन मुद्दा है जिसके कारण इसका विरोध होता रहा बहुत दिनों तक। अभी शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में एक पहल की है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का संशोधन करके वह चाह रहे हैं कि घर की लड़कियों को भी माता-पिता की जमीन पर, उनकी प्रोपर्टी पर बराबर का अधिकार मिले, उन्हें बराबरी का हिस्सा मिले।

ग्रामीण विकास विभाग (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री कर्नल रामसिंह: यह तो आलरेडी है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): महाराष्ट्र ने पहल की है, देश में पहली बार की है और इसका अनुकरण, मैं चाहूंगी सभी राज्यों को करना चाहिये।

श्री मूलचन्द मीणा: पंजाब में है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदया, हमारे देश की पापुलेशन को अगर हम देखें तो 1991 की सेंसेस के तहत इस देश में नारियां एक हजार के बनस्पद 927 हैं। सिर्फ केरल राज्य ऐसा है जहां एक हजार के बनस्पद 1036 महिलाएं हैं।

टोटल लिटरेसी परसेंटिज करीब 52 परसेंट है जिसमें महिलाओं का लिटरेसी परसेंटिज 39.29 परसेंट है। केरल में 89.81 परसेंट लिटरेसी महिलाओं में है। इन महिलाओं को शिक्षा दी गई, बराबर का अधिकार है, दफ्तरों में आजकल काम करती हैं, बराबर की कुर्सी में बैठती हैं। महिलाएं चेयर पर बैठी हैं। हमारे तो राज्य सभा सेक्रेटेरियेट की सेक्रेटरी जनरल भी महिला है और उनको पूर्ण अधिकार है और इसके बावजूद भी अगर कोई महिला यह कहे कि हमें अधिकार नहीं मिलता है। आप चेयर पर बैठी हैं, बहस कर रहे हैं और उसके बाद कहें कि अधिकार नहीं मिलता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह बिल जो है यह विवाहित महिलाओं के अधिकार के बारे में है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप ही खाली अविवाहित हैं न, यह तो विवाहित है। महोदया, विवाहित महिलाओं के अधिकारों की बात है। कभी आपने सुना है कि विवाहित महिला का झगड़ा ससुर से हुआ है। जब झगड़ा हुआ है सास से हुआ है। कभी सुना है कि जेठ से झगड़ा हुआ है? जब झगड़ा हुआ है जेठानी से हुआ है। कभी सुना है कि ननदोई से हुआ है? जब झगड़ा हुआ है तो ननद से हुआ है। देवर और भाभी का झगड़ा कभी नहीं हुआ, भाभी और देवर का प्यार तो मशहूर है भारतीय संस्कृति में। जब भी झगड़ा हुआ है तो देवरानी से हुआ है। तो यह अधिकार किस से मांगते हैं, पुरुषों से या अपने ही लिंग से? फिर सौतेली मां के अत्याचार की कहावत भारतीय संस्कृति में बड़ी प्रचलित है। पर यह बात है कि परम्परा चली आ रही है कि सास भी कभी बहु थी। उस सास पर जो अत्याचार हुआ था तो उसी की तरह वह अपनी बहु पर अत्याचार करती जा रही है। यह उसी तरह है जिस तरह मेमने और बाघ की कहानी है कि तूने झूठा नहीं किया तो तेरे बाप ने झूठा किया था, इसलिए तेरे को मार डालूंगा। कभी सास को किसी सास ने तंग किया था, इसलिए बहु को वह तंग कर रही है। ऐसी बातों को ले कर हम पूरी संस्कृति पर हमला नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा है कि हमें जब शक्ति की जरूरत हो तो जगदम्बा मां से ले कर पीताम्बरी देवी तक से हम शक्ति मांगते हैं। जब विद्या की जरूरत है तो मां सरस्वती की आराधना करते हैं। लक्ष्मी की जरूरत है तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अनाज की जरूरत है तो अन्नापूर्णा को पुकारते हैं। यह सारी देवियां नारी हैं। तो आज हम इस बात को उठाएं कि हमारे अधिकार नहीं हैं, मैं नहीं मानता हूं। अधिकार पूरे हैं और उन अधिकारों को अब तो दुरूपयोग हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा अखबारों में छपा कि हजबैंड लोगों की एक एस्सोसियेशन बनी है और उस एस्सोसियेशन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपना पड़ाव लगाया है.....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): कहां बनी है?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: दिल्ली में आल इण्डिया की एसोसियेशन बनी है जिसमें 50 हजार मैम्बर हैं (व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा: जो आप कह रहे हैं कि यूनियन बनी है, मैंने भी पढ़ा है कि पुरूष सेल बना है। उसमें उसने कहा है वह वकील है और चुनाव लड़ना चाहता है इसलिए सेल बना रहा है। (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। उसका कहना है कि पत्नियों का जो अत्याचार है पतियों पर, गवर्नमेंट की पालिसी जो बनी है, आपने सारी चांर्जे विदड्रा कर ली हैं। रेप केस पर, मॉलेस्टेशन केस पर आप एवीडेंस नहीं लेते, एकदम समरी ट्रायल कर के हैंग

करना चाहते हैं। किन्तु उनका कहना है कि साहब हमारे पर जो अत्याचार दिन पर दिन हो रहे हैं तो उसका उपचार कौन करेगा?

महोदया, मैं आपको बताऊं कि यह एंटी डाँवरी एक्ट लाने के पीछे कुछ कारण थे। हम लोग चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे डाँवरी नहीं दे सकते हैं, उनकी लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं, वह विवाह करने योग्य रह जाएं, सरकार उसमें मदद करे। हमने इंटरकास्ट मैरिज को एनकरेज करने के लिए कहा कि हम पांच हजार आपको शादी के लिए देंगे। पांच हजार के बर्तन देंगे, कपड़े देंगे, मकान देंगे, नौकरी देंगे। बहुत कुछ हमने कहा कि हम एनकरेज करते हैं। उसके बावजूद नहीं हो रहा है। यह एंटी डाँवरी एक्ट लाने के पीछे सिर्फ यही मुख्य मुद्दा था कि अत्याचार बंद हों। पर इसका जो एक्सप्लायटेशन है वह चरमसीमा पर है।

महोदया, मैं बताऊं कि हमारे देश के करीब 8 प्रतिशत ट्रायबल लोग हैं। अब इनके यहां कोई ऐसा कानून नहीं है। आपके विधेयक में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने प्रावधान अपने संस्कारों में बनाया हुआ है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में भी है। उन्होंने अपने बनाया हुआ है कि जो ट्राइबल के घर में लड़की पैदा होती है वह प्रापर्टी की अधिकारी है। जहां शादी करके वह आती है वहां भी उसका अधिकार बन जाता है। यहां से छूट गई वहां पर अधिकारी बन गई। दूसरी बात, उनके फैमिली कोड क्या हैं। उनको अगर कोई बच्चा हो गया, नहीं हो गया, बाप मान रहा है या नहीं मान रहा है, मां और बाप में झगड़े हो गए, पति-पत्नी में कोई झगड़ा हो गया, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी कम्युनिटी को चिंता है। जो गांव का बूढ़ा है, जो विलेज चीफ है, वह बुलाकर पंचायत में फैसला कर देता है और वह शिरोधार्य होता है। यह जो हमारे फैमिली कोड थे या फैमिली के जो गांव बूढ़े थे या जो हमारे विलेज चीफ हुआ करते थे, यह परंपरा हमने खुद खराब की है। यह विधेयक वास्तव में इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए नहीं है जो गांवों में रहती है। यह सिर्फ 20 प्रतिशत उस जनसंख्या के लिए है जो ऑफिस गोअर है। जो हसबैंड को बिना पूछे सिनेमा हाल जाना चाहती है। किटी पार्टी में जाना चाहती है।....(व्यवधान) घर में सास दर्द से कराह रही है, परेशान है। घर में बूढ़ा बाप या मां कराह रही है, उसकी उसको चिंता नहीं है। मुझे तो अपने भाई को राखी बांधने जाना है। मैं तो वहां जाऊंगी। राखी बांधना एक धर्म है, ठीक है, उस धर्म का पालन करो, पर उससे बड़ा धर्म है अपने मां-बाप की सेवा करो। वह नहीं करके उसने दूसरा धर्म पालन करना है। नहीं साहब, गांव के बाहर वह जो पीपल का गाछ है वहां लपेटने जाना है। वहां मैं जरूर जाऊंगी।

महोदया, मैं मानता हूं कि लोगों में यौन विकृतियां हैं। आप उसको उजागर कर सकती हैं। अब जिस तरह नार्थ ब्लॉक में आफिस के अन्दर ही एक कुलीग ने अपने कुलीग को लंच आँवर में रैप कर दिया। इट इज ए बैड थिंग, खराब चीज है। यह विकृति है। यह संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसे लोगों का सरे आम समरी ट्रायल होना चाहिए। यहां एक विवाहित महिला के साथ अत्याचार किया गया। किसने? घर वाले ने नहीं, घर के बाहर हुआ है। पर जिस वक्त सती प्रथा होती थी, सती प्रथा क्यों होने लगी? सती को क्यों जबर्दस्ती जला दिया जाता था? क्योंकि अगर उसका हसबैंड मर गया तो वह हकदार बन जायेगी और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी। इसलिए घर की महिलाएं ही, आप सती प्रथा के पुराने तरीके हैं उन्हें देखिए, महिलाएं ढोल-डफले लेकर सती माई के नाम पर गाने गाते हुए और वीर रस की कथाएं सुनाते हुए, उसे ले जाकर चिता पर बिठा देती है। फिर उस प्रथा का विरोध किसने किया, राजा राममोहन राय ने। बाल व विधवा पुनर्विवाह की सबसे पहले प्रेरणा किसने दी, विद्यासागर ने। तो क्या वह महिला थी? तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रोटेक्शन के लिए शुरू से पुरुष आए हैं और पुरुषों ने आपको शक्ति का प्रतीक माना है, आपने शक्ति ली है और संस्कृति को बढ़ावा दिया है, पर अगर आप अप-संस्कृति की तरफ चले जाएं, संस्कृत के विरोध में काम करें, थोड़ा विरोधाभास हो जाए तो वहां अंकुश लगते हैं और उन अंकुशों को अंकुश नहीं कहा जाता। इसलिए अगर इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करनी है तो महिलाओं को समान अधिकार जरूर दिए जाएं, किंतु एकदम लगाम से बेलगाम न कर दिया जाए।

महोदया, आज महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं, स्कूल, कालेज और कम्पटीटिव एक्जामिनेशंस में वे साथ बैठती हैं। वे आइ.ए.एस. हैं, आइ.पी.एस. हैं, पायलट हैं और जहाज चला रही हैं। अब तो वे फौज में भी आ गयी हैं। इंडियन एअर फोर्स में आ गयी हैं। और क्या अधिकार दिए जाएं? आपको संपत्ति का अधिकार चाहिए। वह संपत्ति का अधिकार है। महोदया, कहां एक गांव की महिला पूछती है कि आपके पास कितना पैसा है? वहां तो बैंक में कोई रखता ही नहीं है। आदमी जितना कमाकर लाता है, सारे-का-सारा बीबी के हाथ में रख देता है। मैं तो अपनी जिंदगी में दादा-दादी को देखा है कि जितना कमाकर लाए दादी के हाथ में रख दिया। पिता को देखा है जितनी कमाई आई, मां के हाथ में रख दी और आज

हमारा भी वही रवैया है। तो यह कौन लोग हैं, उनको पहचानने की जरूरत है कि हमारी संस्कृति में यह अपभ्रंश क्यों आया है? हम लोगों ने यह कल्चर कहां से लिया? महोदया, हम कभी-कभी बाहर के कल्चर को जब एडॉप्ट कर लेते हैं और कभी-कभी वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। यू.एन. में वूमंस कांफ्रेंस हो रही है और वहां सवाल उठाया गया वूमंस राइट का। और वहां वूमेन राइट क्या जहां कि इमोशंस ही नहीं है? आज इसके साथ घर किया, कल उसके साथ घर किया। वहां बच्चे का इमोशन ही नहीं है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं। महोदया, स्वीडन में तो बच्चे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, मां-बाप की नहीं। तो वहां इमोशन ही नहीं है, मां-बाप को कोई लगाव ही नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। ये शब्द डिक्शनरी में भारतीय संस्कृति के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कु० सरोज खापर्डे): बहुत-बहुत धन्यवाद अहलुवालिया जी। मैंने तो सोचा था कि आप शायद इस विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन आपने विरोध किया।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदया, मैंने तो सबसे पहले अपने कोटेशन में कोट किया कि -I am the bose of the hosue and I have my wife's permission to say so.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): इसलिए जब मैं इस विधेयक में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी।

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank God, you are not the boss of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPAUDE): Mr. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY {Pondicherry): Thank you. Madam Vice Chairman, for giving me this opportunity to speak on this very important Bill which has been moved by an hon. lady Member of this House. I rise to support this Bill. I have a perception different from what Mr. Ahluwalia has on this Bill. This Bill has been brought in by an hon. lady Member for protecting the rights of girls, married women and widows.

I will start from the position of widows in this country. What is the position of elder ladies as also young ladies whose husbands died suddenly in accidents, etc.? Considering it as a social responsibility the Government comes to the help of those people. The Government gives them some monthly allowance because their families are poor. Now, the position is that after the death of the husband his property is taken away by his brothers and sons. The woman who was living with her husband for years together and who was enjoying the assets and liabilities of her husband, after his death, is nowhere. She is thrown out of the house. Who is there to take care of her? She is ignored by her sons and by her relatives. You can imagine her position. So, this Bill protects the rights of the widow.

If the husband is working as a Government employee, the position is that there are certain rules and regulations for giving employment to his wife or to his children on compassionate grounds. But it is not being done strictly by the Government Departments. We are receiving a lot of representations from a large section of the society. If the husband is a Government servant like a teacher, after his death it takes three to four years for his widow to get a job in place of her husband. Sometimes they are not able to get any employment at all. They have to run from pillar to post. This is how the administration is running. Therefore, through this Bill the widows would automatically get the full amount of income which their husbands were getting. Apart from that, they can also get an employment in place of their husbands if they so like. Then when the husband dies, sometimes the family pension is either stopped or is reduced to SO per cent. So, there is nobody to take care of widows. Her children ignore her When her relatives find that she is not inheriting any property, they ignore her. Ultimately, she is the sufferer. As far as the widows are concerned, they would get the kind of protection which they need if this Bill is considered.

As far as married women are concerned, they should have the right to dwell with their husband. When a girl visits her parents' house after her marriage, she is considered an alien by her parents. She is treated as a girl who has come from another family. She is not treated as a family member. Though there is a blood relationship, she does not have the right to property. She is ignored by her own brothers. This is the state of affairs which is prevailing in this country even today. The parents look upon her as a burden when she visits her parents. This is what we are seeing in the

society today. The Woman should get SO per cent of her husband's property.

There is a fine legislation in France. Immediately after marriage the wife gets SO per cent of her husband's property. It is covered under the codicil of France. Children also inherit property along with their parents. If it is done, then cases of divorce will decrease and atrocities on women will also decrease. I would like the hon. Minister to consider this.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): The difficulty is that even the husband does not inherit any property when he gets married. At that time all the property remains with the father. We have to consider the whole system, the right of succession according to the Indian Shashtras. When I got married, I had no property. Then what could I offer to my wife? But, now she owns everything after the marriage. She has been equally contributing to my success. So, my success is her success. Mostly a husband, in India Mr. Ahluwalia was right to some extent, does not own any coparcenary right in ornaments and other things of wife's father and other relatives. That is the absolute right of the married woman. So, that cannot be taken away from her. It is absolutely her property. We have provided in our own way. It is good that you have a right today to discuss about the status of women in the present day context. But you cannot insist that a husband must give 50% of his property to his wife at the time of marriage. We are giving property under our Hindu system at the time of marriage in the form of *Stridhan* and this *Stridhan* is absolutely her property. Even the husband is not entitled to take it away from her. This *Stridhan* will be offered to a married girl. If a marriage takes place when the husband does not even have any employment, how do you visualise the husband offering property to his wife? He along with his wife will try to make their life a success. This is our tradition. I would like to state one or two facts so that the debate goes objectively because it is not for scoring a point. Our women deserve a lot. There is no denying this fact. But the fact is that today the girls are insisting on a share in the landed property. Therefore, a provision is made wheeunder when a marriage takes place in the sister's house, her brother goes there and offers money. That is called *as Bitot* in our area. In the same way, when a boy or girl is bom, the brother offers money and articles to his sister. This is known as *Chuchar.* When festivals are celebrated, a brother will send money to his sister. In one way or the other, in the Hindu system or other systems also, protection is given. But this is a modem world in which there is a crying demand for liberation of women. But the liberation movement in India is different from the liberation movement in the United States of America. The affinities between families are great in our systems. When the mother is alive, you cannot neglect her. You see many mothers crying for their sons and daughters. There they do not even care for their aged parents. Therefore, in our system, the sentimental and emotional attachment between family members is much greater. For example, my wife treated my mother for thirty years. When she became a widow, I insisted on having a nurse to attend to the needs. But my wife did not allow me to do this. She said that she was her nurse. This is the Indian way of life. We cannot really think that women will be better only by making legal provisions. It is something where more research has to be done as to how we can better the status of women. At the same time, we must concede that they deserve abetter treatment.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I -agree with the hon. Minister only partially but not *fully...(Interruptions).....Let* me make my position clear. The practice which is being followed in France about which I have made a mention to the hon. Minister is thoroughly mistaken by him. I quite agree with him that marriages in India take place at a very young age. At the time of marriage, the husband does not acquire any property. Now the property of the husband can be shared by the wife at the time of the marriage because it is assumed that immediately after the marriage, the husband has acquired the property. After the marriage, if the husband acquire property, even after ten years, the wife gets her share automatically. This does not mean that the husband should own property at the time of marriage itself. This is the practice which has been followed in France. It is being implemented in France very

successfully. When the children are bom, they also get an equal share along with their parents. Therefore, what is the problem in giving the property to the wives when they are living with their husbands? When she acquires property
and when it is in *bet.....(interruptions)*

SHRI S. S. AHLUWALIA: Mr. Narayanasamy, what about the 40% of the population who do not own any property? They are living below the poverty line.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am saying about those husbands who own properly. If they are not owning any property, this Act does not apply. You try to understand this. Kindly hear me first. Similarly, if the wife acquires property in her individual capacity, 50% of it will go to her husband. It is a simultaneous process. If the husband acquires property, 50% of it goes to his wife and if the wife acquires property. 50% of it also goes to her husband. The purpose of bringing in this particular legislation is that the wife will get secured. There will not be any room for torture.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WASTELAND DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): Can I ask him to clarify whether the intention is thai the girl should have a share in the father's property or in the husband's property or in both the father's property at well as the husband's property?

SHRI V. NARAYANASAMY: At the time of the marriage., if the husband is owning property, even after five or ten years it is the husband's property; she will get 50% of the husband's property only.

COL. RAM SINGH: What about the father's property?

SHRI V. NARAYANASAMY: I am coming to it. There is a legislation in France which is successful. That is what I am *saying...(interruptions)...,*

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, this law is in force in Goa at present. And, the law is prevalent in the country because we have so *many...(interruptions)....*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Minister wants to say something.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam. I don't think this controversy is required. It is a very good point that the husband and the wife can own properly jointly in their own life-time along with the children. It is a good proposal and we can always discuss this issue, if there is this assurance that the dignity and prestige of women will be restored on this issue. We can at one point of time...*(interruptions)* After all, in several States—I have got the information— they have already done so, that the parents are giving a right to their daughters. I cannot see any contradiction in it. My daughters have been educated better than me, better than my own son and the type of protection and care which they have *got...(inlerruptions)...* Now, the times are changing and all these ideas are acceptable to our society. But the point is that today this Hindu Succession Act is different. The Muslim Personal Law is different. Indian Succession Act is different. So, we will have to bring a coordination into these and see how the question of property can be settled.

At one point of time, the former Prime Minister. Shri Rajiv Gandhi, had instructed me to examine whether, when a husband gets a flat, that can be in the joint ownership of both of them. I think, the Secretary-General will also remember this.

So. -we *banc* discussed this. The point is that the lncome Tax comes in and somany other problems also come in.We are examining all these issues. Let there be a debate on this.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Mr. Narayanasamy, bow much time will you Cake now?

SHRI V. NARAYANASAMY: I will take more than 15 minutes, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Then, I think, you should continue next time. Now, I would like to take up the Special Mentions.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, we will take them up on *Tuesday...(interruptions)....*

, THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Yes, Mr. Ahluwalia, but there are two Members and they have been sitting since morning. So, I would just like to call Mr.Nybdek Yonggam.